

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ**

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 26 / 2023

दायर दिनांक : 14 / 06 / 2023

निर्णय दिनांक : 03 / 12 / 2024

**उनवान**

1. लालीबाई पत्नी परमेश्वरलाल छीपा निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. कमलसिंह पिता गणपतसिंह बड़वा निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर
2. आजाद कुंवर पुत्री जयकरणसिंह बड़वा निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर
3. केशरसिंह पिता जयकरणसिंह बड़वा निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर
4. दयालकुंवर पुत्री जयकरणसिंह बड़वा निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर
5. पिकी कुंवर पुत्री जयकरणसिंह बड़वा निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर
6. हेमा पिता किशना भील निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर
7. बंशीलाल पिता सवा ढोली निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर
8. उदा पिता सवा ढोली निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर
9. रामा पिता सवा ढोली निवासी रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम रायपुरिया कला की आ.सं. 2301/1521 रकबा 0.86 है**। भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(पुनीत कुमार गेलडा)  
सहायक कलेक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी,  
भूपालसागर

